

By Regd. Post
RTI MATTER

No. VI.23014/205/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

Sf. No. 161

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road, New Delhi-110001.
Dated: 24th June, 2013

To

Shri Vinod Kumar Jain,
Rashtrawadi Shivsena Bhawan,
Main Chowk, Shadhara,
Delhi-110032.

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 08.04.2013 received in this unit on transfer on 15.05.2013.

2. In this regard, it is stated that the two letters referred to in your RTI application i.e. dated 05.12.2012 and 11.12.2012, relate to personal security of an individual and details thereof cannot be disclosed to a third party as the information in this regard is exempted under Section 8(1)(j) of the RTI Act-2005.

3. Further, the letter dated 23.02.2013 was not received in this unit as the subject matter does not relate to this unit. The matter may be related to CS and IS-I Divisions of MHA and accordingly a copy of your application is being forwarded to CPIOs, CS and IS-I Division for necessary action under the RTI Act-2005.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
☎ - 23438120

RTI- 161/Dir (IS-1)/13
3/7/13

RTI matter

Pl check from
o/o JS(15-1)
to whom the
letter dt 5/12/12
addressed to HM
was sent.

23.2.13

Has the letter dt 5/12/12

been recd in o/o JS(15-1)? Urgent pl

PS to JS(15-1)

by the 24.161/PS dt 27/4/13

(Girish Kumar)

Pl transfer to Dir (IS-1) w/s 6(3) of RTI Act-2005

25/6

28/6

PA

Copy to:

- / (1) Shri K. Muralidharan, Director & CPIO, CS Division, MHA, NDCC-II Building, New Delhi alongwith a copy of the RTI application of Shri Vinod Kumar Jain.
- / ✓ (2) Shri Rakesh Mittal, Director & CPIO, IS-I, MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of the RTI application of Shri Vinod Kumar Jain for necessary action under the RTI Act-2005.
- (3) Smt. S. Sudha, Under Secretary(DP-II) & CPIO, UTP, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.14036/330/2013-UTP dated 13th May, 2013.

अखण्ड हिन्दुस्तान उद्देश्य हमारा

राष्ट्रीय प्रमुख हिन्दू हृदय सभाट मा. श्री जयभगवान गोयल जीव्यादाव

राष्ट्रवादी शिवसेना

राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक शाहदरा, दिल्ली-110032

फोन : 011-22325555, 22322455 फैक्स : 011-22322751

ई-मेल : ho@rashtrawadishivsena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivsena.co.in

दिनांक : 08/04/2013

क्र.स.रा.शि.से./02/415/13

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

RRS/RTI/0013
10/4/13

विषय : सूचना के अधिकार कानून-2005 के तहत जानकारी देने के संदर्भ में।

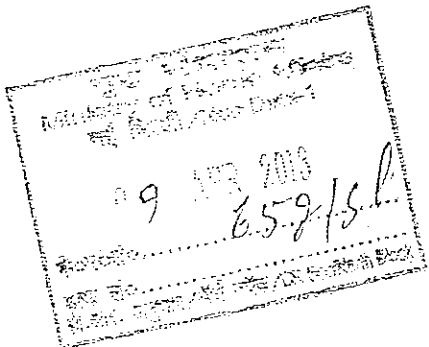
महोदय,

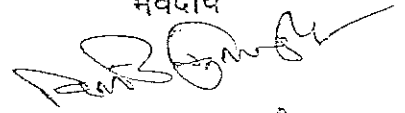
आपके कार्यालय में पार्टी प्रमुख श्री जयभगवान गोयल जी के द्वारा लिखित तीन शिकायत पत्र (दिनांक 05 दिसम्बर 2012 पत्र संख्या-रा.शि.से.02/498/12, दिनांक 11 दिसम्बर 2012 को पत्र संख्या-रा.शि.से.02/505/12 तथा दिनांक 12 फरवरी 2013 पत्र संख्या-रा.शि.से.02/139/13) दिया था, जिसकी प्रति साथ संलग्न है। उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मुझे सूचना के अधिकार कानून-2005 के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूँ।

1. उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?
2. यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी जानकारी दी जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में मांगी गई जानकारी जल्द से जल्द मुझे लिखित रूप में मातृ भाषा हिन्दी में ही उपलब्ध करवाने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा।

सधन्यवाद।



भवदीय

विनोद कुमार जैन
राष्ट्रीय महासचिव

वन्देमातरम्

राष्ट्रवादी शिवसेना

राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक शाहदरा, दिल्ली-110032

फोन : 011-22325555, 22322455 फैक्स : 011-22322751

ई-मेल : ho@rashtrawadishivseena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivseena.co.in

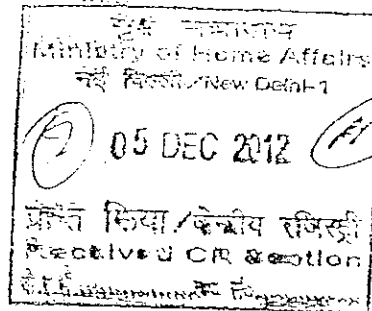
25/10/12 11:45 (VS) - 6/12/12

क्रमांक : रा.शि.से.02/498/12

दिनांक : 05/12/12

प्रतिष्ठा में,

श्री सुशील कुमार शिंदे
गृहमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली



द. 07 N. 164993

H.S. 5/12

dy N. 164992

H.M. 5/12

विषय : मुझे मिल रही जान से मारने की धमकी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के संदर्भ में।

महोदय,

मैं जयभगवान गोयल सुपुत्र स्व. श्री हरि राम गोयल, निवासी-कृष्ण विला, डब्ल्यू-21, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 में रहता हूं और राष्ट्रवादी शिवसेना का अध्यक्ष हूं।

महोदय, मैं पिछले करीब 30 वर्षों से सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में सक्रियतापूर्वक कार्य करते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों व आतंकवाद जैसी राष्ट्रीय समस्या के लिए निरंतर लड़ता आया हूं। जिसकी वजह से मैं हमेशा ही इन देशद्रोहियों की हिटलिस्ट में रहा हूं।

महोदय, गत दिनों मैंने एनडीटीवी (24X7) न्यूज चैनल में एक डिबेट की थी, जो 06 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस की 20वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित हुई थी। इसमें मैंने खुलकर बाबरी मस्जिद बनाने वालों का विरोध किया था और 06 दिसम्बर को विजय दिवस मनाने की भी बात की थी, जिसका प्रसारण पूरी दुनिया में हुआ था और इसके लिए मुझे दुनिया के कोने-कोने से कई हिन्दुओं द्वारा बधाई भी दी गई थी, मगर कल रात करीब 09:00 बजे मेरे फोन नं. 9810047536 पर किसी इमरान खान नाम के व्यक्ति ने फोन नं.-+60103256522 से फोन करके कहा कि मैं मलेशिया से बोल रहा हूं और अपने आप को दाऊद का आदमी बताते हुए कहा कि तू ज्यादा बड़ा हिन्दू नेता बनता है और ठीक हो जाने को कहा तथा गंदी-गंदी गालियां देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी और पार्टी कार्यालय को उड़ाने की धमकी भी दी।

महोदय, एक बार मेरे ऊपर 2002 में जानलेवा हमला भी किया जा चुका है, जिसके अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। इन्हीं तमाम कारणों से वर्ष 2002 में सरकार द्वारा मुझे सुरक्षा भी मुहैया करवाई गयी थी। जिसे नवंबर 2008 में किन्हीं कारणोंवश पुलिस द्वारा हटा ली गई थी।

क्रमशः ...

राष्ट्रवादी शिवसेना

राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक शाहदरा, दिल्ली-110032
फोन : 011-22325555, 22322455 फेक्स : 011-22322751
ई-मेल : ho@rashtrawadishivseena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivseena.co.in

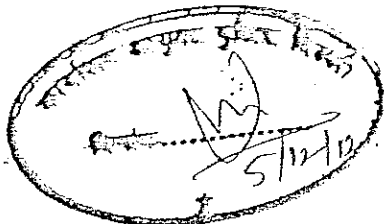
-:2:-

महोदय, इससे पूर्व भी मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी द्वारा श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकी देने के बाद गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों, वकीलों व अन्य लोगों को उच्च श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश जारी किये थे।

महोदय, श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मामले में मैं भी मुख्य आरोपियों में से एक हूं और हमेशा ही आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी देश के लिए नासूर बन चुकी समस्या और भारतीय संस्कृति को लेकर संघर्षरत रहता हूं। मगर सिमी, इंडियन मुजाहिदीन व नक्सली संगठनों के आतंकियों की दिल्ली में हो रही गिरफ्तारियों ने जाहिर कर दिया है कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है और ये आसानी से किसी को भी निशाना बना सकते हैं। मैं जबकि हमेशा ही इन लोगों का विरोधी रहा हूं और बेझिझक होकर जनसेवा में तत्पर रहता हूं। ऐसी स्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं व मेरे परिजनों को हमेशा ही मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिल्ली में बढ़ती आतंकी संगठनों सिमी, इंडियन मुजाहिदीन व नक्सली संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर मेरी हटाई गई सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल बहाल करने की सिफारिश करें। जिससे मैं बेझिझक होकर राष्ट्र व समाज की सेवा कर सकूं।

सधन्यवाद।



भवदीय

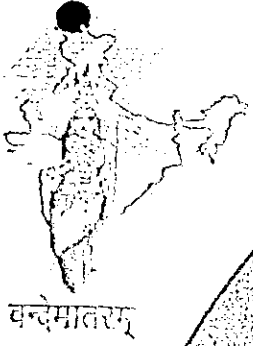
जयभगवान गोयल
अध्यक्ष

प्रतिलिपि

1. श्री नीरज कुमार, आयुक्त दिल्ली पुलिस
2. श्री आर. के. सिंह, गृहसचिव, भारत सरकार
3. श्री बी.बी. चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिला उत्तरी-पूर्वी

संलग्न

1. सुरक्षा हेतु अभी तक किये गये पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां
2. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि
3. धमकी से संबंधित धाना शाहदरा में दी गई शिकायत पत्र की प्रतिलिपि



राष्ट्रीय प्रमुख हिन्दू हृदय समारोह, श्री जयभगवान गोयल जिलावाद
राष्ट्रवादी शिवसेना

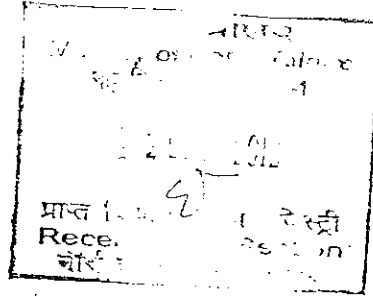
राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक शाहदरा, दिल्ली-110032
फोन : 011-22325555, 22322455 फैक्स : 011-22322751
ई-मेल : ho@rashtrawadishivsena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivsena.co.in

क्रमांक : रा.शि.से.02/505/12

दिनांक : 11/12/12

प्रतिष्ठा में,

श्री सुशील कुमार शिंदे
गृहमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली



विषय : मुझे निरंतर मिल रही जान से मारने की धमकी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के संदर्भ में।

महोदय,

मैं जयभगवान गोयल सुपुत्र स्व. श्री हरि राम गोयल, निवासी-कृष्ण विला, डब्ल्यू-21, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 में रहता हूं और राष्ट्रवादी शिवसेना का अध्यक्ष हूं।

महोदय, कल रात्रि मैं एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गुडगांव बाईर स्थित उमराव में गया हुआ था, रात्रि 09:11 पर मेरे फोन नंबर 9810047536 पर फोन नं.-+923036850880 (पाकिस्तान) से फोन आया और मेरा नाम पृष्ठने के बाद बड़ी भद्दी-भद्दी गालियां निकालते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी और अपनी राजनीतिक व हिन्दुत्ववादी गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा। इसके बाद मैंने वहीं से ही 100 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को भी दी। इससे पूर्व भी दिनांक 04 दिसम्बर को भी रात्रि में धमकी भरी फोन कॉल आयी थी जिसके संदर्भ में मैंने केन्द्रीय गृहमंत्री, गृहसचिव भारत सरकार, पुलिस आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त जिला उत्तरी-पूर्वी को भी पत्र लिखकर सूचित किया था (जिसकी प्रति साथ संलग्न है) और थाना शाहदरा में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। (प्रति साथ संलग्न है)

महोदय, मैं पिछले करीब 30 वर्षों से सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में सक्रियतापूर्वक कार्य करते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों व आतंकवाद जैसी राष्ट्रीय समस्या के लिए निरंतर लड़ता आया हूं। जिसकी वजह से मैं हमेशा ही इन देशद्रोहियों की हिटलिस्ट में रहा हूं। मगर भारत सरकार द्वारा कत्ताव को फांसी पर लटकाये जाने के बाद और मेरे द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम और पाक क्रिकेट टीम के विरोध के बाद ये देशद्रोही और ज्यादा चौखला उठे हैं और मुझे बार-बार धमकी दे रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मिल रही निरंतर धमकियों और दिल्ली में बढ़ती आतंकी संगठनों सिमी, इंडियन मुजाहिदीन व नक्सली संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर मुझे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की सिफारिश करें। जिससे मैं वैधिकांक होकर राष्ट्र व समाज की सेवा कर सकूं।

सधन्यवाद।

प्रतिलिपि

1. गृहसचिव, भारत सरकार
2. आयुक्त दिल्ली पुलिस
3. स्पेशल पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल

भवदीय

जयभगवान गोयल

परमेश्वर

संस्कृत प्रमुख हिन्दुस्तान राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्थान, दिल्ली

राष्ट्रवादी शिवसेना

राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक, शाहदरा, दिल्ली-110032

फोन : 011-22375555, 22322455 फैक्स : 011-22322744

ई-मेल : ho@rashtrawadishivseena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivseena.co.in

क्रमांक : रा.शि.से.02/139/13

दिनांक : 22/02/13

प्रतिष्ठा में,

श्री प्रणव मुखर्जी जी

माननीय राष्ट्रपति भारत

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

विषय : आतंकवादी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन व सिमी के फैले नेटवर्क को तत्काल खत्म करने के संदेश में।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान देश में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन व सिमी के फैल रहे नेटवर्क की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो पूरे देश के लिए खतरे की एक घंटी है और इस पर लगाम कसने में नाकामयाब साबित हो रही, भारत सरकार की नीतियों को लेकर प्रत्येक देशवासी चिंतित है।

महोदय, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे समाचारों से तो स्पष्ट है कि ये आतंकवादी संगठन मात्र दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में अपनी जमीन तैयार कर चुके हैं और किसी भी राष्ट्रद्रोही वारदात को अंजाम भारी तबाही मचा सकते हैं, जिसका जीता-जागता उदाहरण हैदराबाद में हुए बम बलास्ट है, जिसकी जानकारी केन्द्र सरकार को होने के बावजूद भी वह इस वारदात को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई। जिसके लिए केन्द्र सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की वे नीतियाँ जिम्मेवार हैं जिनके द्वारा वह देश से ज्यादा वोट को महत्व दे रही है।

महोदय, गत दिनों संसद हमले में मुख्य अभियुक्त अफजल गुरु को फांती दिए जाने के बाद जिस प्रकार से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जंतर-मंतर पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में ही अफजल के समर्थन में जुटे थे, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे छात्र शिक्षा नहीं बल्कि इन जगहों पर रहकर छात्र के रूप में आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी विचारधारा भी आतंकवाद समर्थित व भारत विरोधी थी इससे पूर्व भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जांच के लिए गए आई.बी. अधिकारियों को भी छात्रों द्वारा बंधक बना लिया गया था, जहाँ से वे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। ये सब घटनाएँ साबित करती हैं कि इंडियन मुजाहिदीन, सिमी व अन्य आतंकवादी संगठन मुस्लिम छात्रों को आतंकवाद की राह पर ले जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए ऐसे छात्रों व लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करवाये ताकि ये लोग अन्य छात्रों को भ्रमित न कर सकें और देश को आतंकवादी गतिविधियों से बचाया जा सके।

सादर।

आपका

जयभगवान गोयल

प्रमुख

प्रतिनिधि

श्री सुशील कुमार शिंदे

गृहमंत्री, भारत सरकार

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi-11

25 FEB 2013

प्राप्त किया/केन्द्रीय रजिस्ट्री
Received/CR Section
दक्षिण ब्लॉक / North Block

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pl.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)

RTI MATTER

Reply of Sl No. 161

New Delhi, Dated 03 July, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Information sought by Shri Vinod Kumar Jain under the Right to Information Act, 2005.

Please find enclosed an RTI application dated 24.6.2013 alongwith its enclosures, received by the undersigned on 25.6.2013 on transfer from PP Division, MHA.

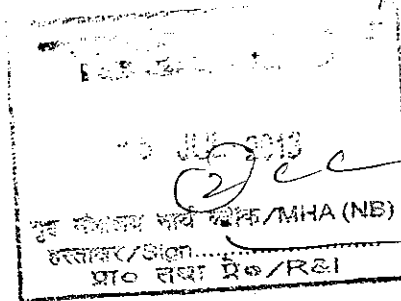
2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the information sought by the applicant does not relate to this Division.

3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II), MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.

Recd
Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy to:

- 4/2*
1. Shri Vinod Kumar Jain, Rashtrawadi Shivsena Bhawan, Main Chowk, Shadhara, Delhi -110032.
 2. Shri Girish Kumar, Director (VS) & CPIO, PP Division, MHA, NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road New Delhi, w.r.t. their Letter No.VI.23014/205/2013-VS dated 24.6.2013 for information.



[Signature]
(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel.23092132